संख्या-4/2855/52-3-2014-सा(8)/2014

प्रेषक,

मुहम्मद जुबैर अली हाशमी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

□□□ में

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण □□वक्फ □□□□-3 □□□□ दिनांक 06 जनवरी, 2015

विषयः-केन्द्र □□□□□□□□ □□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत □□□□ विषयों □□ शिक्षकों □ राज्य □□□□ □□ □□□ □□प्रति □□ अतिरिक्त □□□□ प्रदान किये □□□ □□□□ में।

□□□□,

धार्मिक शिक्षा □□□□□ संस्थाओं (□□□□/मकतबों) में □□□□ शिक्षकों की व्यवस्था □□□□□ □□□□□□ □□□ विकास मंत्रालय □□□ □□□□ द्वारा वर्ष 1993-94 □□□□□□ आधुनिकीकरण □□□□ □□□□ की □ रही □□ □□ योजनान्तर्गत मदरसों □ मकतबों में विज्ञान, गणित, □□□ शास , हिन्दी □ अंग्रेजी विषयों की शिक्षा दिये □□□की व्यवस्था की □□ □ ताकि मदरसों में शिक्षा प्राप्त □□□□□□अल्पसंख्यक छात्रों □ मुख्य □□□ □□□□□ □ □□□

2. □□□ □□□□ द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत की □□ □□□ □□□ की व्यवस्थानुसार शिक्षण कार्य □□□□□□□□स्नातक, परास्नातक, स्नातक □□□□ □□0□□0 शिक्षकों □ रू0 6000/-प्रति □□, परास्नातक □□□□ □□0□□0 शिक्षक □ रू0 12000/- प्रति □□ की □ □□□□□□ दिये □□□की व्यवस्था की □□ □□ □□□□□□□ में □ □ व्यवस्था □कि इण्टर शैक्षिक अर्हता □□□ □□□शिक्षक □ पूर्व □□□ □□□□ □आच्छादित □□□ रू0 3000/- प्रति □□ की □ □□□ शर्त □□ □□ □□□□ प्रदान किया □□□□ कि □□□□ शिक्षक द्वारा 04 वर्ष □अन्दर □□□ न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (स्नातक) □□□□ □ □ □□□□

3. □□□ □□□□ द्वारा वर्ष 2008 □□योजनान्तर्गत शिक्षकों □ □□□□ □□ रूप में उपरोक्तानुसार ही □□□□□ प्रदान की □ रही □□ जबकि वर्ष 2008 की □□□ में वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि □ चुकी □□ □□□ योजनान्तर्गत कार्यरत □□□□ विषयों □शिक्षकों □□ आधुनिकीकरण शिक्षक □□ द्वारा □□□□ में वृद्धि □□की □ रही निरन्तर □□ □ दृष्टिगत

http://shasanadesh.up.nic.in

□□□□□□□राज्य □□□□□ द्वारा सम्यक विचारोपरान्त □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत इण्टरमीडिएट शैक्षिक अर्हता □□□□□□□शिक्षकों, जिन्हें □□□□ □□□□□ द्वारा रू0 3000/- प्रति □□□, स्नातक, परास्नातक, स्नातक □□ □□□ □□0□□0 शिक्षकों जिन्हें □□□□ □□□□□ द्वारा रू0 6000/- प्रति □□□ □□□ परास्नातक □□ □□□ □□0□□0 शिक्षक जिन्हें □□□□ □□□□□ द्वारा रू0 12000/- प्रति □□□ की □□ □□□□□□□ प्रदान किया □□ □□□ □,□□□ राज्य □□□□□ द्वारा □□□□ □□□ □□क्रमश रू0 1000/- प्रति □□□, रू0 2000/- प्रति □□□ □□□ रू0 3000/- प्रति □□□ अतिरिक्त □□□□□□ □□□□□ □□ रूप में प्रदान □□□□□□□□क्रमश रू0 4000/-प्रति □□□, रू0 8000/-प्रति □□□ □□□ रू0 15000/-प्रति □□□ की □□□□□□ □□□□□ □□ रूप में दिनांक 01.05.2014 □□निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों □□ □□□□ प्रदान किये □□□□□□ निर्णय □□□□ □□□ □□:-

(1) इण्टरमीडिएट अर्हता □□□□□□□□□□ विषय □□शिक्षकों जिन्हें □□□□ □□□□□ द्वारा रू0 3,000/- प्रतिमाह □□□□□ प्रदान किया □□ □□□ □□, □□ □□□□□□□की व्यवस्थ □□□□ □□□□□ द्वारा समाप्त □□ दी □□□ □,□□□ भविष्य में यदि □□□ □□□□ □□□□□ द्वारा इण्टरमीडिएट अर्हता □□□□□□□□शिक्षक □□ □□□ योजनान्तर्गत □□□□□□□की व्यवस्था □□□□की □□□□ □,□□□ □□□शिक्षक □□ राज्य □□□□□ द्वारा □□□□□□□ □□रू0 1,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त □□□□□ प्रदान किया □□□□□□

(2) राज्य □□□□□ द्वारा □□□□□ □□रूप में दिये □□□□□□□□अतिरिक्त □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ उन्हीं मदरसों में कार्यरत □ □□□□ विषयों □□शिक्षकों □□ किया □□□□□ □□ कि □□□□ □□□□□ की □□□□□ आधुनिकीकरण य□□□□ □□आच्छादित □□

(3) □ □□□□ विषयों □□शिक्षकों □□ दिये □□□□□□□अतिरिक्त □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ ही किया □□□□□ □□ □□ केन्द्रपोषित □□□□□ आधुनिकीकरण य□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ द्वारा शिक्षक □□ □□□□□ □□केन्द्रांश □□रूप में प्रदत्त की □□□□ □□□□ □□□□□□ प्राप्त □□□□ □□□□

(4) □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत वर्तमान में आच्छादित मदरसों □□□ भविष्य में आच्छादित □□□□□□□□मदरसों □□ □□□□ रूप □□ प्रभावी □□□□

(5) राज्य □□□□□ द्वारा □□□□□ □□आच्छादित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों □□ राज्य □□□□□ द्वारा दिये □□□□□□□□ अतिरिक्त □□□□□ प्रतिमाह □□□□□ रूप □□दिया □□□□□□ □□□□ □□□ राज्य □□□□□ द्वारा □□□□□□□□ □□□□□□□ की □□□□□□ स्वीकृत की □□□□□

4. उक्त □□ □□□□□□□□ व्यय □□□□□ संख्य-48 □□ लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षों-01-प्रारम्भिक शिक्षा -800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय □□□□□□□/केन्द्र द्वारा □□□□□□□□ योजनायें-02-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में □□□□□ □□ आधुनिकीकरण-20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□□ □□□) में व्यवस्थित □□□□□□ □□□□□ किया □□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

5. □□ □ □□□ वित्त विभाग □□अशासकीय संख्य - □-11-20 / □□-2015, दिनांक 05 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी □□□□□ □□प्रदत्त निर्देशों के□□□□ निर्गत किये □□ □□□हैं।

भवदीय,

(□हम्मद □□□ □□□ □□□□)
विशेष □□□□

<u>संख्या-2855(1)/52-3-14-</u><u>तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि निम्नलिखित □□ सूचनार्थ □□□आवश्यक कार्यवाही □□□प्रेषितः-

1. □□□□, □□□□ □□□□□ विकास मंत्रालय, □□□□ □□□□□, स्कूल शिक्षा □ साक्षरत सेक्शन-□□ 19, शास्त्री □□□, □□□ दिल्ली।
2. समस्त मण्डलायु , उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. रजिस्ट्र /निरीक्षक, □0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद, □□□□□
5. समस्त जिला अल्पसंख्यव कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. कम्प्यूटर □□□□□, अल्पसंख्यव कल्याण □□□□□-3 □□ □□□□□□ □□ पोस्ट □□□□□□□□
7. गार्ड □□□□

आज्ञ □□

(□□ प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in